



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 20-2022/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2022 (MAGHA 13, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 फरवरी, 2022

संख्या 08/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर नियम, (द्वितीय संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 में, नियम 109क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“109क. अपील प्राधिकारी की नियुक्ति—(1) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) के अधीन पारित किसी निर्णय या आदेश से व्यवित कोई व्यक्ति, उस तिथि, जिसको उक्त निर्णय या आदेश की संसूचना ऐसे व्यक्ति को दी जाती है, से तीन मास के भीतर,—

- (क) राज्य कर आयुक्त को अपील कर सकता है, जहां ऐसा निर्णय या आदेश राज्य कर अपर आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो;
 - (ख) राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपील) को अपील कर सकता है, जहां ऐसा निर्णय या आदेश राज्य कर उप आयुक्त तक के रैंक के अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो।
- (2) इस अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) के अधीन पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए धारा 107 की उप-धारा (2) के अधीन निर्देशित कोई अधिकारी, उक्त निर्णय या आदेश की संसूचना की तिथि से छह मास के भीतर—
- (क) राज्य कर आयुक्त को अपील कर सकता है, जहां ऐसा निर्णय या आदेश राज्य कर अपर आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो;
 - (ख) राज्य कर संयुक्त आयुक्त (अपील) को अपील कर सकता है, जहां ऐसा निर्णय या आदेश राज्य कर उप आयुक्त तक के रैंक के अधिकारी द्वारा पारित किया गया हो।
- (3) राज्य कर आयुक्त अभिलिखित किए जाने वाले प्रशासकीय कारणों से, किसी अपील को एक अपील प्राधिकारी से किसी अन्य अपील प्राधिकारी को अन्तरित कर सकता है या अपील के सारभूत समरूप आधारों के उत्पन्न होने पर अपील के बहुलित मामलों को इकट्ठा कर सकता है और उन्हें अपील प्राधिकारी को सौंप सकता है।”।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 2nd February, 2022

No. 08/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2022.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, for rule 109A, the following rule shall be substituted, namely:-

“109A. Appointment of Appellate Authority”

- (1) Any person aggrieved by any decision or order passed under the Act or the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017) may appeal to –
 - (a) the Commissioner of State Tax where such decision or order is passed by the Additional Commissioner of State Tax ;
 - (b) the Joint Commissioner of State Tax (Appeals) where such decision or order is passed by the officer upto the rank of Deputy Commissioner of State Tax, within three months from the date on which the said decision or order is communicated to such person.
- (2) An officer directed under sub-section (2) of section 107 to appeal against any decision or order passed under the Act or the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017) may appeal to –
 - (a) the Commissioner of State Tax where such decision or order is passed by the Additional Commissioner of State Tax;
 - (b) the Joint Commissioner of State Tax (Appeals) where such decision or order is passed by the officer upto the rank of Deputy Commissioner of State Tax, within six months from the date of communication of the said decision or order”
- (3) The Commissioner of State Tax may transfer an appeal from one appellate authority to another appellate authority on an administrative ground to be recorded in writing or may club multiple cases of appeal arising out of substantive similar grounds of appeal and assign them to one appellate authority.

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.